



Neutral Citation No. - 2026:AHC:2360

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 44600 वर्ष 2025

ताहिर

.....आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

.....विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : बैकुण्ठ नाथ सिंह, संतोष कुमार सिंह

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या - 66

माननीय न्यायमूर्ति कृष्ण पहल

1. वाद-सूची की पुनः पुकार कराई गई है।
2. श्री संतोष कुमार सिंह, विद्वान अधिवक्ता आवेदक की ओर से, श्री दीपक कुमार सिंह, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता राज्य की ओर से सुना गया एवं अभिलेख पर रखी गई सामग्री का अवलोकन किया गया।
3. आवेदक, मुकदमा अपराध संख्या 278/2024 (एस.टी. संख्या 73/2025), धाराओं 103(1), 238 भारतीय न्याय संहिता, थाना कोतवाली कोंच, जिला जालौन के अंतर्गत, विचारण के लंबित रहने की अवधि में जमानत चाहता है।
4. अभियोजन कहानी के अनुसार, आवेदक सह-अभियुक्त अख्तर के साथ मिलकर दिनांक 08.12.2024 को लगभग प्रातः 8:00 बजे मृतक को अपने साथ ले जाने का कथित आरोपी है।
5. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि आवेदक पूर्णतः निर्दोष है तथा वर्तमान मामले में उसे झूठा फंसाया गया है। प्राथमिकी लगभग ग्यारह दिन विलंब से दर्ज हुई है और उक्त विलंब का कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है, यद्यपि बाद में शव बरामद हुआ, और पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम के पश्चात उक्त प्राथमिकी एक बाद की सोची-



समझी कार्रवाई के रूप में दर्ज कराई गई है। यदि आवेदक ने वास्तव में मृतक को अपने साथ ले गया होता, तो प्राथमिकी तत्काल दर्ज कराई जाती, अतः यह स्पष्ट रूप से झूठे फँसाने का मामला है।

6. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह भी तर्क दिया है कि आवेदक को घटनास्थल के निकट देखे जाने का कोई साक्ष्य नहीं है। आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक दिनांक 20.12.2024 से जेल में बंद है और विचारण में सहयोग करने को तैयार है। यदि आवेदक को जमानत पर रिहा किया जाता है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा।
7. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत आवेदन का कड़ा विरोध किया है, किंतु आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियों का खंडन नहीं किया जा सका।
8. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों, पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण, अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य पर विचार करते हुए, प्राथमिकी दर्ज कराने में विलंब को दृष्टिगत रखते हुए, तथा मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, प्रथम दृष्टया न्यायालय का मत है कि आवेदक ने जमानत का मामला बनाया है। जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. उक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक ताहिर को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार व्यक्तिगत मुचलका एवं दो जमानतदारों द्वारा समान राशि में जमानत प्रस्तुत करने पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए। इसके अतिरिक्त, रिहाई आदेश जारी करने से पहले जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।
 - (i) आवेदक विचारण के दौरान साक्ष्य से छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - (ii) आवेदक अभियोजन साक्षियों पर दबाव/भयादोहन नहीं करेगा।
 - (iii) आवेदक निर्धारित तारीख पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित होगा।
10. उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की दशा में, यह जमानत निरस्त करने का आधार होगा।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियाँ किसी भी प्रकार से विद्वान विचारण न्यायाधीश को साक्षियों की साक्ष्य के आधार पर अपना स्वतंत्र मत बनाने में प्रभावित नहीं करेंगी।



(न्यायमूर्ति कृष्ण पहल)

7 जनवरी, 2026

(रवि कांत)

Translated Version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।